न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2021/304 दायरा दिनांक 17.11.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. बिरदीचन्द पुत्र लिछमणराम जाति खाती निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. बनवारीलालपुत्र लिछमणराम 2. खेमाराम पुत्र लिछमणराम 3. भंवरीदेवी पुत्री लिछमणराम 4. गोविन्दी पुत्री लिछमणराम 5. शान्ति पुत्री लिछमणराम समस्त जाति खाती निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 6. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती बन्टवारा व स्थाई

निषेघाज्ञा हस्ब धारा 88,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री तेजपाल राठी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01, 03 ता 05।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **03.12.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा पायली की शहरद मे खेत ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर व ख.न. 174 रकबा 2. 3100 हैक्टर स्थित है।जो वादी व प्रतिवादीगण सं 01 ता 05 की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। नकल खतौनियॉ सम्वत 2074—2077 पेश है।

उक्त कृर्षि भूमि तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की कब्जा सुदा व बन्ट की भूमिया है।जिन पर निरन्तर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 काबिज खातेदार काश्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की माता नारायणी देवी पत्नी लिछमणराम का स्वर्गवास दिनाकं 19. 03.2007 को हो चुका है।जिनकी खातेदारी से नाम हटा कर उनके हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम खातेदारी दर्ज करना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी [illegible] पुत्रियॉ है।स्व.लिछमणराम की मृत्यु [illegible] है।जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] वी की

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी दर्ज हुई अब नारायणीदेवी का नाम खातेदारी से मृत्यु उपरान्त हटाया जाना न्याय संगत है, जिनके हिस्से की भूमि केवल मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम की जानी आवश्यक है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 का पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमियो का विभाजन निम्न प्रकार से हिस्सा अनुरूप किया जावे।

(क) वादी बिरदीचन्द के हिस्से व बन्ट में आई भूमिः–

ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ का 1/3 हिस्सा अर्थात 1.3400 हैक्टर तथा ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर मे से उत्तरी तरफ का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.7700 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 बनवारीलाल के हिस्से व बन्ट में आई भूमिः–

ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर मे से मध्य हिस्सा 1/3 हिस्सा अर्थात 1.3400 हैक्टर तथा ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.7700 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार

(ग)प्रतिवादी संख्या 03 खेमाराम के हिस्से व बन्ट में आई भूमिः–

ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर मे से उत्तरी तरफ का 1/3 हिस्सा अर्थात 1.3400 हैक्टर तथा ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर मे से बीच का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.7700 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार

वादी द्वारा अपने हिस्से व बन्ट की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 द्वारा दखल अन्दाजी करने व अन्य व्यक्तियो को वादी की भूमि बैचाण करने की एलानियॉ धमकी देने पर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी हुआ।

प्रार्थना वादी है कि

वाद के पैरा संख्या 05 में वर्णित कृषि भूमियो का बन्टवारा व कब्जे काश्त के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के बीच नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्ड किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद की जावे।तथा खातेदारी में दर्ज स्व. नारायणीदेवी का नाम खातेदारी से हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 द्वारा अपना हिस्सा नही चाहने तथा ससूराल आबाद होने पर उनका नाम भी खातेदारी में दर्ज नही किया जावे।तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 29.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 0[illegible] बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 06 ब[illegible] के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही [illegible] तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 ने न्यायालय [illegible]जीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री पुर्णसिंह बोहरा ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री तेजपाल राठी ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:-आदेश-:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, पायली की शहरद मे खेत ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर व ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की घोषित की जाकर पायली की शहरद मे खेत ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर व ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पेश राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **03.12.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:38:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2021/304 दायरा दिनांक 17.11.2021

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. बिरदीचन्द पुत्र लिछमणराम जाति खाती निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. बनवारीलालपुत्र लिछमणराम 2. खेमाराम पुत्र लिछमणराम 3. भंवरीदेवी पुत्री लिछमणराम 4. गोविन्दी पुत्री लिछमणराम 5. शान्ति पुत्री लिछमणराम समस्त जाति खाती निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 6. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती बन्टवारा व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 03.12.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पुर्णसिंह बोहरा अधिवक्ता, वादी व तेजपाल राठी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01, 03 ता 05 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर पायली की शहरद मे खेत ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर व ख.न. 174 रकबा 2. 3100 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की घोषित की जाकर पायली की शहरद मे खेत ख.न. 248 रकबा 4.0400 हैक्टर व ख.न. 174 रकबा 2.3100 हैक्टर का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पेश राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.12.2021 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner